

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-श्री महेन्द्र लोढा

जिसका संख्या 05/11

तारीख रजू 10/01/2011

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।
बनाम

—सायल(प्रार्थी)

श्री सलीम पुत्र श्री शब्बीर उम्र 26 साल निवासी नीम चौकी शहर सवाई माधोपुर।

—गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग-पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय

दिनांक- 13.4.18

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री सलीम पुत्र श्री शब्बीर उम्र 26 साल निवासी नीम चौकी शहर सवाई माधोपुर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरुद्ध अपराधिकी थाना कोतवाली में स0मा0 जिला सवाईमाधोपुर में निम्न अभियोग पंजीवद्ध होना बताया है।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1.	199/09	17/04/09	13 आरपीजीओ	128	28/04/09	सजा
2.	42/09	22/01/09	13 आरपीजीआ	16	27/01/09	सजा
3.	65/08	26/02/08	13 आरपीजीआ	36	22/02/08	सजा

उक्त पंजीवद्ध आपराधिक प्रकरणों में बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुए अर्द्धदण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल जुआ सट्टे में लिप्त रहकर स्थानीय भोल भाले सीधे साधे लोगों को दांव कर धन लगाने के लिए उकसा कर तथा हार जीत के खेल उकसा कर आधार पर दाव लगाकर खाई वाली करता है। तथा गैरसायल ने इस सट्टे की खाईवाली को अपनी आमदनी का पैसा बना लिया है। जो अवैध कार्य में लगातार तीन बार दण्डित हो चुका है। गैरसायल को इसके निवास स्थान शहर सवाई माधोपुर में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिए घातक है तथा इस अवैध सट्टे बाजी के कारोबार में अपने स्थानीय नेटवर्कों व सर्म्पकों से दिन रात लगा रहता है तथा गैरसायल को स्थानीय निवास की अधिकारीता से बाहर किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रति, न्यायालय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिषेक व अत्याचरण उपस्थित आया। गैरसायल श्री सलीम पुत्र श्री शब्बीर उम्र 26 साल निवासी नैन चौकी शहर सवाई माधोपुर थाना कोतवाली सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र में लगाये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस में तर्क दिया कि गैरसायल जुआ सट्टे में लिप्त रहकर स्थानीय भोल भाले सीधे साधे लोगों को दांव कर धन लगाने के लिए उकसा कर तथा हार जीत के खेल अंको के आधार पर दांव लगाकर खाई वाली करता है। तथा गैरसायल ने इस सट्टे की खाईवाली को अपनी आमदनी का पैसा बना लिया है। जो अवैध कार्य में लगातार तीन बार दोष सिद्ध हो चुका है। गैरसायल को इसके निवास स्थान शहर सवाई माधोपुर में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षेत्र के लिए घातक है तथा इस अवैध सट्टे बाजी के कारण में अपने स्थानीय नेटवर्कों व सम्पर्कों से दिन रात लगा रहता है तथा गैरसायल को स्थानीय निवास की अधिकारीता से बाहर किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा गैरसायल को पुलिस द्वारा चार बार 13 आरपीजीओं अधिनियम के अन्तर्गत कृत्य कारित करते हुए पकड़े जाने पर बाद अनुसंधान आपराधिक अधिकारिता न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा सनस्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यों के आधार पर गैर सायल के विरुद्ध इस्तगसा पेश किया है जो झूठ किये जाने योग्य है। गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधि में नहीं आता है। गैरसायल सन्निधिय एवं बाल बच्चेदार परिवार का व्यक्ति है। गैरसायल पर पुलिस द्वारा सट्टे के झूठे मुकदमे बनाये गये हैं तथा उक्त प्रकरण में एक भी गवाह के बयान नहीं हुए हैं। बिना सबूत का प्रकरण अतः कार्यवाही झूठ फरमाई जावे, तथा परिवादी स्वयं भी परिवाद को साबित करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है, साथ ही वकील गैर सायल ने गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के संबंध में प्रस्तुत अभियोग पत्र की कार्यवाही झूठ करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभंति अवलोकन करने के पश्चात हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि गैरसायल के खिलाफ थाना कोतवाली सवाई माधोपुर में तीन प्रकरण 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत पंजीवद्ध हुए हैं तथा बाद अनुसंधान इन अपराधिक प्रकरणों में अपराधिक अधिकारिता न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा गैर सायल को 13 आरपीजीओ के समस्त प्रकरणों अपराध करने का दोषी पाया जाकर जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम तीन बार दोष सिद्ध व्यक्ति को "गुण्डा" की श्रेणी में माना गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेख माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय द्वारा गैर सायल द्वारा 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत तीन बार दोष सिद्ध होने की पुष्टि होती है तथा इन अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर गैर सायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(3) में वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है।

उक्त उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि—

- 1- गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(3) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवम् गैर सायल को उक्त तालिका में अंकित तीन अपराधों में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय द्वारा तीन बार दोष सिद्ध करार दिया जा चुका है। अतः गैर सायल "गुण्डा" की श्रेणी में आता है।
- 2- गैर सायल की गतिविधियां एवं प्रवृत्तियां अनैतिक एवम् दुष्प्रेरित हैं जो थाना क्षेत्र सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर के लिए घातक एवम् खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।
- 3- गैर सायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैर सायल जिले में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(3) में वर्णित अपराधिक कृत्य कारित करने में संलिप्त है।
- 4- गैर सायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिए अभिशाप है।

लिहाजा—

मैं महेन्द्र लोढ़ा, अतिरिक्त जिला दण्डनायक, सवाईमाधोपुर गैर सायल श्री श्री सलीम पुत्र श्री शब्बीर उम्र 26 साल निवासी नीम चौकी शहर सवाई माधोपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत "गुण्डा" घोषित करता हूँ तथा गैरसायल को तीन माह (90 दिवस) की समयावधि के लिए जिला सवाई माधोपुर व थाना सवाई माधोपुर परिक्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश देता हूँ। एस.एच.ओ. थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की तिथि से 15 दिवस पश्चात गैर सायल को तीन माह (90 दिवस) की समयावधि के लिए जिला करौली के थाना नादौती पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

रहने हेतु थानाधिकारी थाना नादौती जिला करौली को सुपुर्द करे। गैर सायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जाय। गैर सायल वहां रहने की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवम् तीन माह समाप्ति से पूर्व जिला सवाई माधोपुर के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर/थानाधिकारी थाना कोतवाली सवाई माधोपुर एवं थानाधिकारी थाना नादौती जिला करौली को भेजे व एक प्रति गैर सायल को दी जाय।

निर्णय आज दिनांक 13.4.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर